

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 27.06.2022

1-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा चाइनीज नागरिक के साथ मिलकर वीजा व पासपोर्ट आदि दस्तावेजों में छेडछाड करने व कम्पनियों के फर्जी तरह से संचालन का षडयंत्र करने वाले मास्टर माइंड सहित एक महिला अभियुक्ता समेत 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26/27.06.2022 को थाना बीटा-2 पुलिस टीम द्वारा चाइनीज नागरिक XUE FEI उर्फ KOEI S/O XUE JIANHUA नि0 VILL-DALIZHUANG CITY XINJI STATE HEVEI CHAINA वर्तमान निवासी सन कोर्ट -1 फ्लैट न0-401 जे.पी ग्रीन्स ग्रे0नो० गौतमबुद्धनगर के साथ जालसाजी में लिप्त उक्त प्रकरण के मास्टर माइंड 1.रिव कुमार नटवरलाल ठक्कर पुत्र शम्भू लाल नटवर लाल ठक्कर हाल पता जी-402 अतंरिक्ष केनबाल 3 जी प्रतीक विस्तारा सैक्टर 77 नोएडा गौतमबुद्धनगर, 2.एक मिहला अभियुक्ता हैलूंग नेइले नेवमें उर्फ एलन पुत्री नमपेऊटेउग नेवमें ग्राम हेणेराम पीओ/थाना महुर डिमाहसो (नार्थ कचार हिल्स) आसाम , 3.अभियुक्त प्रदीप पुत्र अजय निवासी ग्राम गुरियापुर थाना डेरापुर जिला कानपुर देहात 4. अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र कंवर बहादूर सिंह निवासी ग्राम मनकवार पोस्ट देवरी थाना कोठी जिला सतना मध्य प्रदेश हाल निवासी फ्लैट नं० 208 सुदामापुरी सैक्टर 76 सी-गौर सिटी -2 नोएडा गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ता एलन व प्रदीप को ग्राम बिरौन्डा राम लीला ग्राउण्ड के सामने से व घटना के मास्टर माइंड रिव नटवरलाल ठक्कर व पुष्पेन्द्र को गौतम नगर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से भारी मात्रा में इलैक्टोनिक गैजेट, एक थार गाडी, एक मोटर साइकिल इनफील्ड, नकदी व अन्य समान बरामद हए हैं।

घटना का विवरण-

अभियुक्त रिव कुमार नटवरलाल ठक्कर के द्वारा पूछताछ में बताया कि वह चाइना में MBBS की डिग्री लेने हेतु वर्ष 2012 में गया था किसी कारणवश MBBS की डिग्री को पूरा नहीं कर सका और इसके द्वारा सर्व प्रथम अपने चाइनीज साथी व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर HTZN TECHNOLOGY PVT. LTD. व TD MAX PVT. LTD. सिहत कुल 09 कम्पनियाँ खोली गयी थी तथा साथ ही साथ XUE FEI @ KYLE व अन्य साथियों के साथ मिलकर षडयंत्र के तहत कई फर्जी दस्तावेज तैयार किये गये थे।अभियुक्त प्रदीप घरबरा स्थित क्लब में लाइजनर/सुपरवाइजर के तौर पर करता था तथा इसके द्वारा क्लब में हो रही गतिविधियों में संलिप्त होना पाया गया है । अभियुक्ता एलन जो कि चाइनीज क्लब में मैनेजर के तौर पर काम करती थी तथा सभी गतिविधियों में संलिप्त होने के प्रमाणित साक्ष्य मिले हैं एवं अभियुक्त पुष्पेन्द्र घरबरा स्थित चाइनीज क्लब में सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराता था व क्लब की गतिविधियों में शामिल था ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.रवि कुमार नटवर लाल ठक्कर पुत्र शम्भू लाल नटवर लाल ठक्कर वर्तमान निवासी जी-402 अतंरिक्ष केनबाल 3 जी प्रतीक विस्तारा सैक्टर 77 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 2.प्रदीप पुत्र अजय निवासी ग्राम गुरियापुर थाना डेरापुर जिला कानपुर देहात
- 3.हैलूंग नेइले नेवमें उर्फ एलन पुत्री नमपेऊटेउग नेवमें ग्राम हेणेराम पीओ/थाना महुर डिमाहसो (नार्थ कचार हिल्स) आसाम

4.पुष्पेन्द्र पुत्र कंवर बहादूर सिंह निवासी ग्राम मनकवार पोस्ट देवरी थाना कोठी जिला सतना मध्य प्रदेश हाल निवासी फ्लैट नं0 208 सुदामापुरी सैक्टर 76 सी-गौर सिटी -2 नोएडा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०-४०८/२०२२ धारा ४१९,४२०,४६७,४६४ भादवि व १४ फोरनर एक्ट थाना बीटा-२ ग्रे०नो० कमिश्नरेट-गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1. तीन रजिस्टर (1. सैलरी रजिस्टर 2. विजिट रजिस्टर 3. गेटपास रिजस्टर)
- 2. 05 मोबाईल फोन विभिन्न कम्पनियों के
- 3.दो सिम कार्ड
- 4.दो कीमती घड़ीयां (कीमत करीब 05 लाख) मय बॉक्स
- 5. 36300/- रूपये नगद
- 6.दो घडियों के बिल
- 7.एक पर्स व एक बैग
- 8.एक कार थार नम्बर GJ06PE8373
- 9.एक मोटर साईकिल इनफील्ड नम्बर PB65BC0333





2-थाना इकोटेक -3 पुलिस द्वारा 02 मोबाईल फोन लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 03 मोबाईल फोन व 02 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 27.06.2022 को थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा जनता के लोगो को चाकू दिखाकर एवं डरा धमका कर लूटने वाले 02 अभियुक्त 1. इमरान खान पुत्र इस्लाम निवासी शेरू का मकान सुत्याना थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर, 2- विक्की यादव पुत्र निर्मल निवासी उदय नागर का मकान सुत्याना थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर को हिन्डन पुल कुलेसरा से गिरफ्तार किया गया है।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त रात में आने जाने वाले लोगों को एकान्त में पकड़ कर उन्हें चाकू दिखाकर डरा धमकाकर मोबाइल व लूटपाट की घटना करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.इमरान खान पुत्र इस्लाम निवासी शेरू का मकान सुत्याना थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्दनगर
- 2-विक्की यादव पुत्र निर्मल निवासी उदय नागर का मकान सुत्याना थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- 1.मु०अ०स० २८०/२२ धारा ४१४ भादवि थाना इकोटेक ०३ गौतमबद्धनगर
- 2.मु0अ0सं0 282/22 धारा ४/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक 03 गौतमबद्धनगर
- 3मु0अ0सं0 281/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक 03 गौतमबद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1.01मोबाइल फोन आईटैल कम्पनी
- 2-01मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी
- 3-01मोबाइल फोन एमआई कम्पनी
- 4. 02 अवैध चाकू



3-थाना इकोटेक -3 पुलिस द्वारा मोबाईल फोन लूटने वाले 02 अभियुक्त (लुटेरे) गिरफ्तार, कब्जे से लूट का एक मोबाईल फोन व एक चोरी की मोटर साइकिल पल्सर बरामद।

दिनांक 27.06.2022 को थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा मोटर साइकिल पर सवार होकर मोबाइल लूट करने वाले 02 अभियुक्त 1. अंकुर पुत्र महेश निवासी निकट बीकानेर स्वीटस ग्राम सुत्याना थाना इकोटेक 03 गौतमबुद्धनगर उम्र, 2. आकाश पुत्र कृष्णपाल निवासी बीकानेर स्वीट्ट ग्राम सुत्याना थाना इकोटेक -3जनपद गौतमबुद्धनगर को जयसवाल केट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से दिनांक 22.6.2022 को सुत्याना कट से वादी का लूटा हुआ मोबाइल फोन एमआईकम्पनी आईएमईआई न0- 867159035795174, 867159037795172 बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

- 1. अंकुर पुत्र महेश निवासी निकट बीकानेर स्वीटस ग्राम सुत्याना थाना इकोटेक 03 गौतमबुद्धनगर
- 2. आकाश पुत्र कृष्णपाल निवासी बीकानेर स्वीट्ट ग्राम सुत्याना थाना इकोटेक 3जनपद गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास का विवरणः

मु०अ०स० २७८/२२ धारा ३९२/४११ भादवि थाना इकोटेक ०३ गौतमबद्धनगर मु०अ०सं० २८३/२२ धारा ४१४ भादवि थाना इकोटेक ०३ गौतमबद्धनगर

बरामदगी का विवरण:

- 1. 01 मोटर साइकिल पत्सर रजि0 नं0 यूपी 16 एएच 7655 (चोरी की)
- 2.01 मोबाइल फोन एमआई कम्पनी (सम्बन्धित मु०अ०स० 278/22 धारा 392/411 भादवि)

